Helpline 1064

94135-02834

# कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

## प्रेस नोट

- **झुंझुनू में नायब तहसीलदार एवं रजिस्ट्री बाबू के विरूद्ध 9 हजार रुपये रिश्वत राशि मांगने एवं प्राप्त करने का प्रकरण दर्ज**
- **रजिस्ट्री बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार, नायब तहसीलदार की तलाश जारी**
- **आरोपियों आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *18 फरवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की झुंझुनू इकाई द्वारा आज गुरूवार को उपतहसील कार्यालय, गुढ़ागौड जी झुंझुनू में कार्यवाही करते हुये राकेश कुमार वरिष्ठ सहायक/रजिस्ट्री बाबू को 9 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी** ने बताया कि ए.सी.बी. झुंझुनू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी दुकानों की रजिस्ट्री एवं वसीयतनामा पंजीकृत करने की एवज में उपतहसील कार्यालय, गुढ़ागौड जी झुंझुनू के राकेश कुमार वरिष्ठ सहायक/रजिस्ट्री बाबू द्वारा नायब तहसीलदार अनुराग यादव के लिये 9 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। यह तथ्य शिकायत के सत्यापन में सही पाया गया।

जिस पर एसीबी की झुंझुनू इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री जाकिर अख्तर** के नेतृत्व में आज पुलिस निरीक्षक श्री सुरेश चन्द एवं उनकी टीम के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये **राकेश कुमार** पुत्र हनुमानराम निवासी बडा गांव, गुढ़ागौड जी झुंझुनू हाल वरिष्ठ सहायक/रजिस्ट्री बाबू उपतहसील कार्यालय, गुढ़ागौड जी झुंझुनू को 9 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ए.सी.बी. कार्यवाही की भनक लगने पर **अनुराग यादव नायब तहसीलदार** उप तहसील गुढ़ागौड जी झुंझुनू मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

**एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

**एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी** ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।